भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 307

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

भारत आटा योजना

307. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की भारत आटा योजना पहल का ब्यौरा और लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत जनता को बाजार भाव से सस्ती दर पर गेहूँ का आटा बेचा जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने देश की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किए जाने और इसके वितरण से संबंधित चुनौतियों के लिए योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): गेहूं और आटे के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए, खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), जैसे अर्ध-सरकारी और सहकारी संगठनों को 19 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया है ताकि उसे आटे के रूप में परिवर्तित करके 'भारत आटा' ब्रांड के नाम से जनता को उपलब्ध कराया जा सके। इसका उद्देश्य केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता लिमिटेड (एनसीसीएफ) के स्थायी और मोबाइल आउट्लेट्स के अलावा कुछ अन्य खुदरा नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ इन संगठनों के गठजोड़ के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को सब्सिडीयुक्त दर पर आटा उपलब्ध कराना है।

.....2/-

(ख): इन संगठनों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 27.50/- रुपए प्रति कि.ग्रा. से अनधिक की दर पर भारत आटा को बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है जो आटे के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य से कम है।

(ग) और (घ): दिनांक 01.07.2024 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 282.61 लाख टन है।

******